"जूनियर हाईस्कूल स्तर के कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र/छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक तथ्यों के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन"

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी की एम०एड० उपाधि
की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबन्ध

सत्र 2014-15

निर्देशक
डॉ० अमरनाथ दत्त गिरि
एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षक-शिक्षा विभाग
अतर्रा पी०जी०कॉलेज, अतर्रा
(बाँदा)

शोधार्थिनी
बबली देवी
(एम०एड०छात्रा)

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा
(बाँदा) उ०प्र०

''जूनियर हाईस्कूल स्तर के कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र/छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक तथ्यों के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन''

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी की एम०एड० उपाधि
की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबन्ध

सत्र 2014-15

निर्देशक
डॉ० अमरनाथ दत्त गिरि
एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षक-शिक्षा विभाग
अतर्रा पी०जी०कॉलेज, अतर्रा
(बाँदा)

शोधार्थिनी
बबली देवी
(एम०एड०छात्रा)

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा
(बाँदा) उ०प्र०

शोध निर्देशक का प्रमाण-पत्र
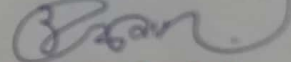
प्रमाणित किया जाता है कि **बबली देवी पुत्री श्री धर्मपाल सिंह** एम0एड0 छात्रा के रूप में सत्र 2014–15 के मध्य मेरे निर्देशन में "जूनियर हाईस्कूल स्तर के कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र/छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक एवं शैक्षिक तथ्यों के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन" शीर्षक से अपना लघु शोध प्रबन्ध पूरा किया है।

मैं इस लघु शोध प्रबन्ध को एम0एड0 परीक्षा की आंशिक पूर्ति हेतु मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करने की संस्तुति करता हूँ।

दिनांकः– 16.06.15

स्थानः– अतर्रा–बाँदा

निर्देशक

डॉ0 ए0एन0डी0 गिरि
(एसोसिएट प्रोफेसर)
शिक्षक–शिक्षा विभाग
अतर्रा पी0जी0 कालेज, अतर्रा
बाँदा

घोषणा-पत्र

मैं **बबली देवी पुत्री श्री धर्मपाल सिंह, एम0एड0 छात्रा** (सत्र 2014–15) अतर्रा पी0जी0 कालेज, अतर्रा घोषणा करती हूँ कि "जूनियर हाईस्कूल स्तर के कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र/छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक एवं शैक्षिक तथ्यों के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन" शीर्षक से प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध मेरा अपना मौलिक कार्य है। इसे न तो अन्यत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही कहीं प्रकाशित।

शोधार्थिनी

Babli Devi

बबली देवी

(एम0एड0 छात्रा)

दिनांकः– 16.04.15

स्थानः– अतर्रा–बांदा

आभार प्रदर्शन

सर्वप्रथम मैं अपने शोध निर्देशक एवं शिक्षक–शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरि का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग एवं निर्देशन से यह लघुशोध प्रबन्ध समय से पूरा हुआ है।

मैं शिक्षक–शिक्षा विभाग के असिस्टेन्ट प्रोफेसर डॉ0 राजीव अग्रवाल एवं डॉ0 सुशील कुमार का भी विचार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरा उत्साह वर्धन किया है। मैं अपने सहपाठियों के प्रति भी आभार व्यकत करती हूँ जिनके पारस्परिक संवाद के कारण मुझे इए लघु शोध प्रबन्ध को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

मैं अपने पिता श्री धर्मपाल सिंह एवं माता श्रीमती सन्तोष देवी के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ जिनके सहयोग, समर्थन एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण इस लघुशोध प्रबन्ध को पूरा करने में समर्थ रही। मैं अपने पति श्री शिवकुमार सिंह की भी आभारी हूँ जिन्होंने लघुशोध प्रबन्ध को पूरा करने में मेरा सहयोग किया है।

मैं उन सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यो शिक्षकों और छात्र–छात्राओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सहयोग से मुझे प्रदत्तों के संकलन में सुविधा हुई। अन्त में मैं पी0डी0 कम्प्यूटर एण्ड फोटोकापी के टाइपिस्ट अवधेश कुमार का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने कम समय में लघुशोध प्रबन्ध को टाईप किया।

शोधार्थिनी

दिनांक– 16.04.15

Babli Devi

स्थान– अतर्रा–बांदा

बबली देवी

(एम0एड0 छात्रा)

अनुक्रमणिका

अध्याय–प्रथम 1–13

1.1 प्रस्तावना

1.2 शिक्षा के उद्देश्य

1.3 भारतीय परिवेश में शिक्षा का महत्त्व

1.4 विषय चयन

1.5 समस्या कथन

1.6 वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य

अध्याय–द्वितीय : सम्बन्धित साहित्य का अनुशीलन 14–20

2.1 जूनियर हाईस्कूल स्तर पर विभिन्न आयोगों के विचार

2.2 जूनियर हाईस्कूल स्तर पर एक अध्ययन–
पंचवर्षी योजनाओं के सम्बन्ध में

अध्याय–तृतीय : लघु शोध अभिकल्प एवं विधि) 21–30

3.1 परिकल्पना

3.2 प्रस्तुत लघु शोध की परिकल्पना

3.3 न्यादर्श एवं न्यादर्शन विधि

3.4 अनुसंधान के उपकरण

3.5 सांख्यकीय गणना एवं सूत्र

अध्याय–चतुर्थ : प्रदत्तों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण 31–55

4.1 सारणीयन एवं व्याख्या

अध्याय–पंचम : निष्कर्ष एवं सुझाव 56–53

5.1 निष्कर्ष

5.2. भावी अध्ययन के लिए सुझाव

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 59–60

परिशिष्ट 61–71

परिशिष्ट– 1 स्कोरिंग शीट

परिशिष्ट– 2 परीक्षण प्रश्नावली

अध्याय-प्रथम

प्रथम अध्याय

1.1 प्रस्तावना :-

शिक्षा के सन्दर्भ में–शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि, विकास तथा व्यवहार में परिवर्तन व परिमार्जन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। यह कार्य मनुष्य के जन्म से प्रारम्भ हो हो जाता है और जीवन भर चलता रहता है। यदि विस्तृत रूप से देखें तो किसी भी समाज में शिक्षा की यह प्रक्रिया सदैव चलती है। अपने वास्तविक अर्थ में किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने–सिखाने की यह सप्रयोजन प्रक्रिया ही शिक्षा है।

''शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाये''

–शंकराचार्य

''मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है''

स्वामी विवेकानन्द

''शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्म के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है''

–महात्मा गांधी

''पैधे कृषि द्वारा विकसित होते हैं और मनुष्य शिक्षा से''

–जान लॉक

उपरोक्त परिभाषाओं से शिक्षा का महत्व स्पष्ट है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के विकास की एक प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य का सर्वांगीण विकास (शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक आदि) करती है।

भारतीय संविधान में स्वतन्त्रता के बाद समानता का अधिकार (अनुच्छेद–14 से लेकर अनुच्छे–18 तक) में यह घोषणा की गयी कि चाहे पुरूष हो या स्त्री, निर्धन हो या अमीर, उच्च वर्ग हो या निम्न सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की धारा–45 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 14 वर्ष तक के छात्र–छात्राओं को राज्य अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। बचपन में जिस तरह की शिक्षा बच्चों की दी जाती है वैसे ही संस्कार पड़ते हैं और उसी के अनुरूप मस्तिष्क होता है अतः ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिये जिससे समाज एवं राष्ट्र का उत्थान तथा प्रजातंत्र की सफलता हो। स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सरकार ने समय–समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाये है परन्तु उतनी सफलता हासिल नहीं हुयी क्योंकि बालक–बालिकाओं को पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक होती रही है। जिसके कारण विकास की एक सतत् प्रक्रिया सही दिशा में नहीं हो पायी।

1.2 शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यः-

शारीरिक विकास का उद्देश्य– शारीरिक विकास शिक्षा का सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक उद्देश्य है। भिन्न–भिन्न समाजों में इसे भिन्न–भिनन रूप में स्वीकार किया गया है, भौतिकवादी समाज शरीर को साध्य मानते हैं व सब सुखों का भोग इसी शरीर से होता है, ऐसा उनका विश्वास है। अतः वे इसके विकास पर अत्यधिक बल देते हैं। इसके विपरीत अध्यात्मवादी समाज, शरीर को साधन मानते हैं उनका मानना है कि शरीर तथा मन उच्च साध्य के साधन मात्र है अतः वे इसे शरी के विकास पर अपेक्षाकृत कम बल देते हैं।

आज दिशा के क्षेत्र में बच्चों के शारीरिक विकास से तात्पर्य उनकी मांसपेशियों और शरीर के विभिनन अंगों को मजबूत बनाने तथा उसनकी कर्मेन्द्रियों एवं ज्ञानेन्द्रियों एवं ज्ञानेन्द्रियों को क्रियाशील बनाने से लिया जाता है। इसके लिए बच्चों का उत्तम स्वास्थ्य के नियम बताये जाते हैं व उनका पालन कराया जाता है। शारीरिक

विकास के उद्देश्य की महत्ता पर दो मत नहीं हो सकते, सभी प्रकार की उपलब्धियों की प्राप्ति शरीर से ही की जाती है। मनोवैज्ञानिक खोजों के परिणाम यह बताते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक होता है।

मानसिक विकास का उद्देश्यः-

मानसिक विकास का उद्देश्य शिक्षा सार्वभौतिक एवं सार्वकालिक, उद्देश्य है। प्राचीन काल में मानसिक विकास से अर्थ मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि से लिया जाता था। आधुनिक युग में मनोवैज्ञानिक वेत्ताओं व शिक्षाशास्त्रियों के किवास से लिया है। कुछ विद्वान विवेक शक्ति का विकास कुछ बौद्धिक विकास को मानसिक विकास कहते हैं।

आज शिक्षा के क्षेत्र में मानसिक विकास से तात्पर्य बच्चों को विचारों के आदान–प्रदान हेतु भाषा ज्ञान एवं वस्तु जगत को जानने हेतु विविध विषयों का ज्ञान कराने, मानसिक शक्तियों–स्मृति, तर्क, निरीक्षण, कल्पपना, चिन्तन, मनन, सामान्यीकरण, निर्णय आदि का विकास करने बुद्धि को तर्क आदि की सहायता से सत्य–असत्य में भेद करने में, प्रशिक्षित करने और इस प्रकार मनुष्य के विवेक शक्ति के विकास करने और इस सबके साथ–साथ बच्चों को मानसिक रोगों से बचाने तथा मानसिक प्रेरकों (अभय, आशा, आत्म विश्वास) आदि का विकास करने से लिया जाता है। इस लिए बच्चों को स्वतन्त्र विकास के अवसर दिये जाते हैं।

सामाजिक विकास का उद्देश्यः-

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसमें सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। जो उसे समूह में रहने के लिए प्रेरित करती है। समूह में वह कभी एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं, कभी घृणा, कभी एक–दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, कभी ईष्या, द्वेष और कभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं और कभी असहयोग। सामान्यतया लोग बच्चों में प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना के विकास को ही सामाजिक विकास कहते हैं, परन्तु समाज शास्त्रियों का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य अपने समाज की भाषा, रहन–सहन की

विधि, रीति–रिवाज, और आचार–विचार को सीखकर अपने समाज में समायोजित करता है। उपर्युक्त बुराईयों को दूर करने तथा उनमें नयी–नयी अच्छाईयों को लाने के लिए नेतृत्व शक्ति का विकास करना, समाजयोजन में प्रेम, सहानुभूति और सहयोग आदि सब कुछ आता है। इस प्रकार बच्चों का सामाजिक विकास करना आवश्यक हो जाता है।

सांस्कृतिक विकास का उद्देश्यः-

प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। विभिनन विद्वानों के संस्कृति पर अलग–अलग मत है परन्तु अधिकांश विद्वान किसी समाज की मान्यताओं, विश्वासों, आदर्शो और मूल्यों को उसकी संस्कृति का आधारभूत तत्व मानते हैं। मनुष्य को अपनी मान्यताओं, विश्वासों, आदर्शो और मूल्यों के प्रति श्रद्धा होती है, तदनुसार वे आचरण करते हैं और इस प्रकार उस समाज की संस्कृति सुरक्षित रहती है। प्रत्येक समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति नित्य नये अनुभव करके अपनी तर्क शक्ति से इन नये अनुभवों की वास्तविकता को एमझते हैं और जब आवश्यकता होती है तो असत्य का खण्डन एवं नये–नये सत्यों का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार किसी समाज में संस्कृति का विकास होती है और यह देखा गया है कि कोई भी संस्कृति अपने मूल स्वरूप को कभी नहीं त्यागती, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके लिए विद्यालयों में बच्चों को भिन्न–भिन्न संस्कृतियों के मूल तत्वों और उनकी विशेषताओं से परिचित कराया जाता है।

नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्यः-

बच्चों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। प्रत्येक समाज के अपने आचार–विचार सम्बन्धी कुछ नियम और सिद्धान्त होते हैं इन नियमों का पालन करना नैतिक है और आन्तरिक शक्ति चरित्र है। इस दृष्टि से नैतिकता एवं चरित्र अभिन्न है व एक के अभाव में दूसरे की बात नहीं सोंची जा सकती। समाज द्वारा नियमों के पालन को नैतिक और आचार–विचार को चरित्र के रूप में लिया जाता है। आज जब हम शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक एवं चारित्रिक विकास की बात करते हैं तो हमारा आशय

बच्चों को अपने समाज द्वारा निश्चित आचार–विचार सम्बन्धी नियमों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पालन करने की ओर प्रवृत्त करने से होता है और आचार–विचार को समाज की अपनी भौगोलिक स्थिति, दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक संरचना, राजतंत्र, अर्थतंत्र, वैज्ञानिक प्रगति और उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों पर निर्भर करता है। यदि हम अपने बच्चों को ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, परोपकार और दृढ़ इच्छा शक्ति आदि चारित्रिक गुणों का विकास कर सकें, और उन्हें प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से रहना सिखा सकें तो समझिये हमने उसका नैतिक एवं चारित्रिक विकास कर लिया।

व्यावसायिक विकास का उद्देश्यः–

शिक्षा में व्यावसायिक विकास का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकतायें–रोटी, कपड़ और मकान है। शिक्षा के व्यवसायिक उद्देश्य स्वीकार करने का अर्थ है कि बच्चों को उनकी रूचि, रूझान और योग्यता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, जिसके अन्तर्गत उत्पादन कार्य जैसे–खेली, व्यवसाय जैसे–दुकानदारी, वकालत, अध्यापन, डाक्टरी आदि लघु उद्योग जैसे–कताई, बुनाई, बढ़ईगीरी, लोहारगीरी, चमड़े का कार्य अथवा किसी बड़े उद्योग को चलाने हेतु जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर, प्रशासक आदि की शिक्षा देना।

व्यवसायिक शिखा के द्वारा बच्चे लाभ उठाते हैं तो निश्चित रूप से देश से बेकारी तथा भुखमरी दूर होगी और हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण होगा। व्यावसायिक शिखा से एक लाभ यह होता है कि इससे समाज की निष्क्रियता समाप्त होती है, प्रत्येक व्यक्ति कार्य में व्यक्त रहता है और वह अनेक बुराइयों से बच जाता है।

नागरिकता का उद्देश्यः–

प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों में अच्छे नागरिक के गुण देखना चाहता है। अधिकतर विद्वानों के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना है।

लोकतांत्रिक देश में नागरिकता की शिक्षा परमावश्यक होती है जब तक देश के नागरिकों को अपने कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा तब तक वे देश के उत्थान में सहायक नहीं हो सकते। इसके लिए नागरिकों में वांछित गुणों के विकास, सामाजिकता की भावना के साथ–साथ उसमें उत्तम चरित्र एवं नैतिकता की भावन का विकास और उन्हें अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का ज्ञान करना भी नागरिकता की शिक्षा है। उत्तम चरित्र नागरिक की पहली आवश्यकता है।

वैयक्तिक उद्देश्यः-

प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तथा शिक्षा द्वारा सत्यं, शिवं, सुन्दरं आदि गुणों का विकास किया जाता था इस उद्देश्य में व्यक्ति प्रधान और समाज गौण होता है। मनुष्य से ही समाज का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा का एक प्रमुख कार्य व्यक्तित्व का विकास करना है प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ जन्मजात प्रतिभायें होती हैं शिक्षा द्वारा इन प्रतिभाओं का विकास होता है। यह आवश्यक है कि व्यक्ति में ऐसी रचनात्मक शक्तियों को जागृत किया जाये जिससे वे अपने वैयक्तिक उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय एकता का उद्देश्यः-

राष्ट्रीय एकता किसी राष्ट्र का प्रमुख तत्व होता है बिना इसके राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि राष्ट्र के नागरिकों में हम की भावना उत्पन्न करें।

डॉ0 राधाकृष्णन का कथन है– ''राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ सम्बन्ध है।''

राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में राष्ट्र के सभी व्यक्ति राष्ट्र हित में अपने सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों का त्योग कर दें। राष्ट्रीय एकता की शिक्षा किसी राष्ट्र के व्यक्तियों को एक सूत्र में बांध देती है। वे स्थान, भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति आदि के

आधार पर भिन्न–भिन्न होते हुए भी राष्ट्र के नाम पर एक होते हैं।

आध्यात्मिक विकास का उद्देश्यः-

प्रत्येक प्राणी आत्मधारी हैं भौतिक चकाचौंध में आध्यात्मिकता का विचार गौंण रखा गया है। आत्मा, सूक्ष्म, अनादि, अनन्त, सर्वज्ञाता, सर्व शक्तिमान है पर अज्ञान वश प्राणी इसकी अनुभूति नहीं कर पाता। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद प्राणी को इस आत्मा की अनुभूति अवश्य होनी चाहिए, मनुष्य के पास जो शरी और मस्तिष्क है, उसकी सहायता से आत्मा की अनुभूति हो सकती है। इसको आत्मानुभूति का उद्देश्य भी कहते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपनी जन्मजात शारीरिक और मानसिक शक्तियों पर नियंत्रण करना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के आध्यात्मिक विकास से केवल इतना अर्थ लिया जाता है कि उनमें आत्मा–परमात्मा के प्रति विश्वास पैदा किया जाय, उन्हें ईश्वर की सन्तान मनुष्य मात्र की सेवा के लिए तैयार किया जाय। यदि मनुष्य के जीवन का अन्तिम उद्देश्य आत्मानुभूति ही हो तो उसको ज्ञान से पूर्ण करें और उसे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करें तब मनुष्य–मनुष्य की सेवा करेगा और संसार एक कुटुम्ब के रूप में बंध जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय बोध का उद्देश्यः-

शिक्षा का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीयता का बोध कराने का होना चाहिए। लोगों में व्याप्त संकुचित भावनाओं को दूर करने के लिए अच्छी भावना व अच्छे दृष्टिकोण का विकास करना होना चाहिए। वर्तमान समय में मनुष्य के दृष्टिकोण अत्यन्त संकुचित हो गये हैं आपस में कलह राग, द्वेष ईर्ष्या एक दूसरे की प्रगति से जलन आदि देखने को मिलता है। एक देश दूसरे देश की प्रगति में बाधा डालता है इसके लिए शिक्षा ही वह अमोघ अस्त्र है जो लोगों की संकुचित भावनाओं को दूर करने में समर्थ हो सकती है। शिक्षा के द्वारा अर्न्राष्ट्रीय अवबोध की धारणा को सुदृढ़ कर सकते हैं और वसुधौव कुटुम्बकम् का सपना साकार हो सकता है।

शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, व्यावसायिक विकास, आध्यात्मिक विकास, राष्ट्रीय एकता, अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास करना भारतीय परिवेश में इन उद्देश्यों से शिक्षा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है।

1.3 भारतीय परिवेश में शिक्षा का महत्वः-

प्राचीन भारत का अतीत गौरवशाली था सर्वत्र सुख एवं शान्ति थी, सामाजिक वातावरण धर्म से प्रेरित था, राजनैतिक उथल–पुथल न थी, देश धन धान्य से परिपूर्ण था। भारतीय संस्कृति अनेक विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव के बावजूद अपने अस्तित्व को बनाये हुए हैं किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली वहां के तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है।

डॉ0 एस0एस0 अल्टेकर ने लिखा है ''ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता की भावन तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता में वृद्धि राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे।''

प्राचीन से ही भारत में विभिनन सम्प्रदायों के द्वारा शिक्षा के विकास पर ध्यान दिया गया है वैदिक काल के बाद बौद्ध काल में शिक्षा का तेजी से विकास हुआ। इस काल में आध्यात्मिक चरित्र की श्रेष्ठता एवं निर्वाण की प्राप्ति, व्यक्तित्व का किवास एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। इसके बाद मुस्लिम शासकों ने अपने लम्बे शान काल में भारतीय परिवेश को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति से धर्म तथा भाषा से प्रभावित किया। मुस्लिम काल की शिक्षा का ा मुख्य उद्देश्य मुस्लिम सभ्यता व संस्कृति का प्रसार तथा सांसारिक वैभव की प्राप्ति करना था। स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा का विकास अत्यन्त संकुचित व एक विशेष वर्ग का साधन मात्र थी परन्तु भारत में शिक्षा का उचित विकास स्वतंत्रता के उपरान्त ही हुआ व आज सम्पूर्ण भारत में प्रत्येक वर्ग

को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आधुनिक युग में शिक्ष के प्रमुख उद्देश्य है जिनके शिक्षा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है।

पारिवारिक दृष्टिकोण से शिक्षाः-

किसी समाज अथवा राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है– व्यक्ति, सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे पहला और छोटा और मूलभूत सामाजिक समूह, परिवार है, पति–पत्नी एवं उनकी सन्तान अथवा अधिक दम्पत्ति एवं उनकी सन्तानें संगठित रूप से एक स्थान पर रहते हैं पर उनमें रक्त का सीधा सम्बन्ध होना आवश्यक होता है। पाश्चात्य समाजशास्त्री मैकाइवर तथा पेज ने कहा है –

''परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री समूह है जिसमें स्त्री और पुरूष का यौन सम्बन्ध पर्याप्त निश्चित होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन–पालन की व्यवस्था करता है।''

बालक–बालिकाओं की शिक्षा में परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, परिवार में बच्चों की संख्या, संयुक्त परिवार या एकाकी परिवार तथा परिवार के सदस्यों की संख्या का शैक्षिक पर्यावरण पर असर पड़ता है। माता–पिता या परिवार के सदस्यों की संख्या का शैक्षिक पर्यावरण पर असर पड़ता है। माता–पिता या परिवार के सदस्यों का बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार है इसका भी बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। परिवार की स्थिति बहुत सीमा तक शिक्षा को प्रभावित करती है।

आर्थिक दृष्टिकोण से शिक्षाः-

परिवार की आर्थिक परिस्थितियों का बालक–बालिकाओं की शिक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की संख्या अधिक है। गरीब परिवार के बच्चों को छोटी अवस्था से ही जीविकोपार्जन का साधन ढूँढ़ना पड़ता है तथा पिछड़े वर्ग के लोग अपने बच्चों की शिक्षा का सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं कर पाते, अतः बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। इसके विपरीत जबकि कुछ परिवारों के लोग

आर्थिक रूप से सम्पन्न होते हुए भी पढ़ायी में होने वाले खर्च को व्यर्थ समझते हैं तथा अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। फलस्वरूप आर्थिक दृष्टिकोण से इस प्रकार शिक्षा प्रभावित होती है।

सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षाः-

सामाजिक संरचना अथवा जिस परिवेश में बच्चे रहते हैं। उस परिवेश का प्रभाव शिक्षा पर बहुत पड़ता है जिस समाज के लोग पढ़े लिखे होते हैं। उस समाज के बच्चे भी शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। सामाजिक मान्यतायें, रीति–रिवाज, रहन–सहन, धर्म, परम्परायें, सभ्यता एवं संस्कृति जिस प्रकार के आचार–विचार होंगे वैसी ही वहाँ की शिक्षा होगी तथा उसी प्रकार बच्चों की भावनाओं का विकास होगा। अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे समाज का निर्माण होना आवश्यक है जिससे बच्चों का चरित्र निर्माण अच्छा हो सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ का जैसा समाज होगा वहाँ की शिक्षा भी वैसी होगी। अतः सामाजिक स्थिति शिक्षा को बहुत सीमा तक प्रभावित करती है।

शैक्षिक दृष्टिकोण से शिक्षाः-

शिक्षित परिवार के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं परन्तु अशिक्षित एवं रूढ़िवादी विचारों के लोग बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं तथा उनके दृष्टिकोण में शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे लोगों की सोच मात्र जीविकोत्पार्जन तक ही सीमित रहती है तथा शिक्षित होना इनके लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा मानते हैं। इस प्रकार शिक्षित और अशिक्षित परिवारों के बच्चों की शिक्षा का अलग–अलग प्रकार से प्रभावित होती है ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि अशिक्षित अभिभावकों को शिक्षित करने के लिए सांध्यकालीन पाठशालायें, अनौपचारिक शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा, वयस्क विद्यालय तथा अंशकालिक विद्यालयों की स्थापना की जाय व ग्रामीणों में ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा उपलब्ध करायी जाये जिससे उनमें शिक्षा के बारे में उचित दृष्टिकोंण व शैक्षिक पहलू का विकास किया जा सके।

1.4 विषय का चयन

भारत में शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से हुआ है, विभिन्न प्रकार की सामाजिक सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं में शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है परन्तु आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल सकी। आज भी 40–50 फीसदी व्यक्ति अशिक्षित हैं ऐसे लोग पुराने रीति–रिवाजों से जकड़े हुये हैं तथा उनमें रूढ़िवादिता कूट–कूट कर भरी है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आता है शिक्षित माता–पिता का दृष्टिकोण अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक होता है तथा वे शिक्षा के महत्व को समझते हैं ऐसे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनके माता–पिता उनको अधिकार शिक्षित करने का प्रयास करते हैं जहाँ पर यह प्रवृत्ति शिक्षा के प्रति भिन्न होती है वहाँ बच्चों की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो जाता है।

वर्तमान समय में संविधान की धारा 45 में स्पष्ट किया गया है कि 14 वर्ष के बालक–बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क रूप से राज्य सरकार करेगी। इसके लिए सरकार ने कई आवश्यक कदम उठाये फिर भी शिक्षा अपना मूल रूप नहीं ले सकी। क्योंकि शिक्षा को प्रभावित करने वाली अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रहीं। अतः अनुसंध ाानकर्ता जूनियर हाईस्कूल स्तरीय कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक तथ्यों के प्रभावों को जानने के लिए इस समस्या को चुना है।

1.5 समस्या कथनः-

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध में जूनियर हाईस्कूल कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक तथ्यों का तुलनात्मक प्रभावों को जानने का प्रयास किया गया है। सरकार इस स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की दिशा में प्रयासरत है ताकि अधिक से अधिक बालक–बालिकाओं को शिक्षित किया जा सके परन्तु अभी तक वांछित

सफलता नहीं मिल सकी। प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध में जूनियर हाईस्कूल स्तरीय कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले पारिवारिक, आर्थिक एवं शैक्षिक तथ्यों का तुलनात्मक प्रभावों को जानने का प्रयास किया गया है।

1.6 वर्तमान अध्ययन के उद्देश्यः-

किसी भी अध्ययन के परिणाम को बिना उद्देश्य के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अनुसंधान कार्य शुरू करने के पहले उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना आवश्यक होता है अतः प्रस्तुत शोध में पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक तथ्यों के प्रभावों को जानने के लिए अनुसंधानकर्ता ने इस विषय का अध्ययन करने के उद्देश्य से जूनियर हाईस्कूल स्तरीय कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं को लिया गया है। इस अध्ययन को चार क्षेत्रों– पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक तथ्यों में विभाजित किया गया है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1. जूनियर हाईस्कूल स्तरीय कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय छात्र–छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले पारिवारिक तथ्यों के प्रभाव को पता लगाना।
2. जूनियर हाईस्कूल स्तरीय कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले आर्थिक तथ्य के प्रभाव का पता लगाना।
3. जूनियर हाईस्कूल स्तरीय कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले सामाजिक तथ्य के प्रभाव का पता लगाना।
4. जूनियर हाईस्कूल स्तरीय कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले शैक्षिक तथ्य के प्रभाव का पता लगाना।

1.7 वर्तमान अध्ययन के क्षेत्रः-

वर्तमान अध्ययन के क्षेत्र में हमने जूनियर हाईस्कूल स्तरीय कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले तथ्यों (पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक) के प्रभावों को जानने के आदर्श बाल निकेतन तथा ब्रह्म

विज्ञान कान्वेन्ट जूनियर हाईस्कूल को लिया है। छात्र–छात्राओं के विचारों को जानने के लिए परीक्षण प्रश्नावली को प्रशासित किया है जिसमें चार क्षेत्र–पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक तथ्यों से सम्बन्धित प्रश्न है।

अध्याय-द्वितीय

अध्याय-द्वितीय

सम्बन्धित साहित्य का अनुशीलन

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य समस्या कथन से सम्बन्धित उन सभी प्रकार के साहित्य से है जिसकी सहायता से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पना निर्माण के अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं उसको मूर्तरूप प्रदान करने में सहायता मिलती है। अनुसंधान से सम्बन्धित सभी साहित्य मुख्यतः पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, जनरल पेपर्स, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबन्धों, न्यूज पेपर्स, एजुकेशनल रिव्यु, इन साइक्लोपीडिया एवं अभिलेखों आदि से ली गयी है।

वुड का घोषणा पत्र (1894):-

सन् 1894 में भारतीय शिक्षा के इतिहास में वुड के घोषणा पत्र के अनुसार सभी वर्गों के बालक–बालिकाओं को समान शिक्षा दी जाये तथा भारत में ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाये जिससे प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से शिक्षा मिल सके।

भारतीय शिक्षा आयोग (हण्टर कमीशन):-

भारत में शिक्षा के प्रति गर्वनर जनरल लार्ड रिपन ने 1882 में हण्टर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की। इस आयोग में पहली बार भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में गहन अध्ययन कर अपने सुझावों एवं सिफारिशों को लिपिपद्ध किया। आयोग के मुख्य निर्णयों का 1902 तक भारतीय शिक्षा नीति का प्रभुत्व रहा।

बीसवीं शताब्दी में शिक्षा का विकास 1896 ई0 लार्ड कर्जन जो पाश्चात्य सभ्यता का कट्टर समर्थक था, भारत का गवर्नर जनरल बना। लार्ड कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार किया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति करके तथा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कराकर उच्च शिक्षा का उन्नयन किया। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं को सम्मानित स्थान दिया। प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक एवं संख्यात्मक उन्नति के लिए सरकार के उत्तरदायित्व को स्पष्ट किया। 1905 में बंग भंग

के बाद शिक्षा के राष्ट्रीयकरण एवं स्वदेशीकरण की मांग बढ़ती गयी औरर प्रचलित शिक्षा का बहिष्कार होने लगा जिससे धीरे–धीरे शिक्षा में परिवर्तन लाया गया। इसी बीच हार्टोग समिति ने भी अपने सुझाव दिये समिति का कहना था कि शिक्षा का संख्यात्मक विकास करने से पूर्व उसका गुणात्मक विकास किया जाये।

स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर था शिक्षा के विकास के लिए 31 अक्टूबर 1986 में शिक्षा का केन्द्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन रखा गया। संविधान में संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। सरकार ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए समय–समय पर विभिन्न आयोगों की नियुक्ति की है। शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर केन्द्रीय स्तर पर अनेक परिषदें हैं। जैसे– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय प्रावधिक शिक्षा परिषद।

स्वतंत्रता के बाद से भारत में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि हुई है। विभिन्न राज्यों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की गयी है।

जूनियर हाई स्कूल स्तर पर विभिन्न आयोगों के विचारः-

1882 में हण्टर कमीशन ने जूनियर हाईस्कूल के स्तर परर हरिजनों एवं पिछड़ी जाति की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। आयोग के सुझाव पर सरकार ने शिक्षा का कार्य नगर पालिक और जिला–परिषदों के हांथ में दे दिया। 1882 ई0 तक जूनियर हाईस्कूलों की संख्या 2816 थी जो 1902 में बढ़कर 3827 तक बढ़ गयी।

1904 में बंगाल विभाजन के बाद गुरूदास बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन हुआ। 1913 ई0 में शिक्षा सम्बन्धी सरकार नीति के प्रस्ताव में कहा गया कि "जूनियर हाईस्कूल स्तर पर राजकीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाय और उन्हें आदर्श बनाने का प्रयास किया जाये" पाठ्यक्रम में मैनुअल ट्रेनिंग और विज्ञान विषयों को

सम्मिलित किया जाये तथा छात्रों को स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा दी जाय। हार्टोग समिति (1929) ने अपने सुझाव में कहा जूनियर हाईस्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम संकुचित है अतः पाठ्यक्रम का विस्तार करके उसको व्यावसायिक बनाया जाये जिससे छात्र–छात्रायें शिक्षा समाप्त करने के बाद उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए अपने आप को उपयुक्त पायें।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के अनुसार वुड एवं वुड रिपोर्ट 1937 के तहत जूनियर हाईस्कूल स्तर की शिक्षा का समय चार वर्ष निर्धारित किया गया तथा बच्चों की स्वाभाविक अभिरूचि तथा क्रियाओं पर आधारित व अंग्रजी माध्यम से शिक्षा देने की सिफारिश की गयी। 1936–37 तक जूनियर हाईस्कूलों की संख्या– 13046 थी। 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने कहा –

"देश की वर्तमान पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है तथा इसके द्वारा होने वाले लाभ से देश का कर देने वाला वर्ग वंचित रह जाता है अतः प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम सात साल का हो जिसके द्वारा मैट्रिक तक का ज्ञान दिया जा सके। अंग्रेजी के स्थान पर उद्योग को जोड़ा जाये जिससे पढ़ायी का खर्च भी अदा हो सके। यहाँ पर यह जरूरी है कि सरकार इन बनायी हुई चीजों को राज्य द्वारा निश्चित की गयी कीमत पर खरीद लें।"

डा0 जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा योजना के नाम से एक समिति बनी जिसने अपनी रिपोर्ट 1938 में कांग्रेस के हरीपुरा अधिवेशन में प्रस्तुत की। जिसमें कहा गया कि हस्त शिल्प के कार्यों तथा पाठ्यक्रम के अन्य विषयों में सह–सम्बन्ध होना चाहिये।

सार्जेन्ट रिपोर्ट 1944 के अनुसार जूनियर हाईस्कूल स्तर के बालक–बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा तथा स्कूलों में वाह्य परीक्षा के स्थान पर आन्तरिक परीक्षा की व्यवस्था की जाये।

भारत में स्वतंत्रता के बाद 1952–53 मुदालियर कमीशन की नियुक्ति हुई जूनियर हाईस्कूल स्तर पर शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन में सुधार सम्बन्धी कुछ प्रमुख

सुझाव दिये–

1– पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता एवं लचीलापन होना चाहिये ताकि यह छात्रों की विभिन्न रूचियों एवं आवश्कताओं को पूरा कर सके।

2– जूनियर हाईस्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिये जैसे–विभिन्न भाषाओं, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, कला तथा संगीत, शिल्प और शारीरिक शिक्षा।

1964 में गठित कोठारी कमीशन (शिक्षा आयोग) ने जूनियर हाईस्कूल स्तर पर शिक्षा में सुधार सम्बन्धी निम्नलिखित सुझाव दिये–

1. जूनियर हाईस्कूल स्तर की शिक्षा 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिये जिसमें सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा भी हो।

2. निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देनी चाहिये।

3– तकनीकी स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले अन्तिम पाठ्यक्रमों में विस्तार कर देना चाहिये ताकि छात्रों को विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षण मिल सके।

वर्तमान समय में जूनियर हाई स्कूल स्तर की शिक्षा की परिस्थितियों का अध्ययनः–

भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को बिना धर्म, जाति एवं लिंग भेद के न्याय एवं समानता पर आधारित शिक्षा हो। राष्ट्रीय सरकार ने शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक उत्साह का प्रदर्शन किया है इसके साथ बच्चों में अपने भावी जीवन के चयन के लिए जूनियर हाईस्कूल स्तर पर अपने आपको तैयार कर सकें। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार जूनियर हाईस्कूल स्तर पर शिक्षा के विकास के लिये अलग से धन की व्यवस्था करती है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56):-

प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विकास के लिए एक अरब उनहत्तर करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी, जिसमें 22 करोड़ रूपये जूनियर हाईस्कूल की शिक्षा के लिए

निर्धारित था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के विभिन्न अंगो का विकास करना, प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना था। इस योजना के पूर्व भारतीय शिक्षा की स्थिति अत्यन्त सोचनीय थी तथा साक्षरता का प्रतिशत 17.2 था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61):-

इस योजना में शिक्षा के विकास के लिए तीन अरब सैंतालीस करोड़ रूपये निर्धारित किया गया जिसमें से 51 करोड़ रूपये जूनियर हाईस्कूल पर व्यय करने के लिये था। पहली योजना में सम्पूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति न हो पाने के कारण दूसरी योजना में भी लगभग वही उद्देश्य अपनाये गये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66):-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को विस्तृत एवं तीव्र बनाना, प्रत्येक परिवार को इसकी परिधि में लाना ताकि सब क्षेत्रों में शिक्षा नियोजित विकास का केन्द्र बिन्दु बन जाये। विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा में सुधार व विस्तार करना तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण देना शामिल था। इस योजना में जूनियर हाईस्कूल स्तर पर 88 करोड़ रूपये खर्च करने के लिये निर्धारित किया गया।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74):-

इस योजना में जूनियर हाईस्कूल स्तर पर शिक्षा के लिए 243 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के स्तर, अवधि एवं विविधता पर विशेष ध्यान देना तथा 1976 तक 14 वर्ष की आयु के सभी बालक–बालिकाओं को शिक्षा की सुविधायें प्रदान करना व रोजगार के अवसर प्रदान करना था।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79):-

इस योजना में जूनियर हाईस्कूल स्तर की शिक्षा के लिए 241 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय का विकास व शिक्षा

के अवसरों में समानता स्थापित करना था।

छठवीं पंचवर्षीय योजना (1980-85):-

इस योजना में जूनियर हाईस्कूल की शिक्षा के लिए 420 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी तथा जूनियर हाईस्कूल स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण करना मुख्य उद्देश्य था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90):-

इस योजना में जूनियर हाईस्कूल स्तर की शिक्षा के लिए 440 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जूनियर हाईस्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए व्यापक सुविधायें देना तथा तकनीकी शिक्षा का आधुनिकीकरण करना था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-96):-

इस योजना में जूनियर हाईस्कूल स्तर की शिक्षा के लिए 449.78 करोड़ रूपये निर्धारित किये गये इसमें जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षा के प्रसार पर अधिक बल दिया गया।

नवीं पंचवर्षीय योजना (1996-2002):-

इस योजना के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति तथा अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए 576 करोड़ रूपये निर्धारित किये गये तथा शिक्षा के विकास के और धन की अतिरिक्त भाग को रखा गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007):-

इस योजना में जूनियर हाईस्कूल स्तर की शिक्षा के लिए 839 करोड़ रूपये से अधिक निर्धारित किये गये इसमें जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षा के प्रसार पर अधिक बल दिया गया तथा इसमें शिक्षा क्षेत्र को 75 प्रतिशत बढ़ाने

का प्रावधान है।

इन पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक उन्नति नहीं हुई तथा स्तर में गिरावट आयी। भारतीय संविधान में निर्धारित नीति सिद्धान्त के अनुसार 14 वर्ष तक के छात्र–छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का जो उल्लेख है वह आज तक सफल नहीं हो पाया।

अध्याय-तृतीय

अध्याय-तृतीय
परिकल्पना

अनुसंधान प्रक्रिया में समस्या कथन के पश्चात् एक उपयुक्त परिकल्पना की आवश्यकता होती है। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है– ''पूर्व चिन्तन'' समस्या के विश्लेषण व परिभाषीकरण के पश्चात् उसमें कारणों तथा कार्यकारण के सम्बन्ध में पूर्व चिन्तन कर लिया गया है यह निश्चय करने के पश्चात उसका परीक्षण आरम्भ हो जाता है। अनुसंधान कार्य, परिकल्पना निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया हैं।

गुड तथा स्केट्स के अनुसारः-

''परिकल्पना एक अनुमान है जिसे अन्तिम व स्थायी रूप में किसी निरीक्षण तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया गया हो एवं जिससे अन्वेषण को आगे पथ प्रदर्शन प्राप्त किया हो''

टाउनसेण्ड के अनुसारः-

''परिकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है।''

करलिंगर के अनुसारः-

''एक कल्पना दो अथवा दो से अधिक चरों के सम्बन्ध में विषय में एक कल्पनात्मक कथन होता है।''

3.1 परिकल्पना का सृजनः-

किसी भी अनुसंधान कार्य के परिणाम को प्रांप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्राक्रियायें करनी पड़ती हैं इसी के अन्तर्गत परिकल्पना का सृजन होता है। जब हमें किसी कार्य के बारे में ज्ञान नहीं होता तब हम अनुमान द्वारा उस कार्य को सम्पादित करते हैं। अन्वेषण के लिए हम अपने अनुभव, ज्ञान के आधार पर एक सम्भावित कार्यकरण सम्बन्ध स्थापित करते हैं इसी दौरान हमारी परिकल्पना पूर्णतः सत्य अथवा आंशिक रूप से सत्य या बिल्कुल निराधार व असत्य हो सकती है। अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए परिकल्पना का सृजन आवश्यक है, सृजित परिकल्पना सांस्कृतिक प्रतिमानों एवं

निर्धारित सिद्धान्तों, व्यक्तिगत अनुभवों अथवा काल्पनिक विचारों के आधार पर बनाया जाती है।

परिकल्पना का महत्व :-

परिकल्पना अनुसंधान कार्य की आधार शिला होती है यदि परिकल्पना अवैज्ञानिक, अप्रसांगिक एवं अनुपयुक्त है तो अनुसंधान कार्य निष्फल हो जाता है व अनुसंधानकर्ता का सम्पूर्ण प्रयास विफल हो जाता है।

परिकल्पना के निम्नलिखित महत्व हैं –

1. परिकल्पना अनुसंधान के उद्देश्य को स्पष्ट करती है।
2. परिकल्पना अनुसंधान की दिशा निश्चित होती है।
3. परिकल्पना तथ्यों के संकलन में सहायक होती है।
4. परिकल्पना के द्वारा निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है।
5. परिकल्पना समस्या को सीमित करती है।
6. परिकल्पना पुनरावृत्ति द्वारा अनुसंधान के निष्कर्ष की सत्यता का मूल्यांकन करती है।

3.2 प्रस्तुत शोध कार्य की परिकल्पना :-

अनुसंधान कार्य के लिए प्रस्तावित परिकल्पना है ''जूनियर हाईस्कूल स्तरीय कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं की शिक्षा पर पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक तथ्य समान रूप से प्रभाव डालते हैं।''

1. जूनियर हाईस्कूल स्तरीय कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं पर पड़ने वाले पारिवारिक तथ्य के प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. जूनियर हाईस्कूल स्तरीय कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं पर पड़ने वाले आर्थिक तथ्य के प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. जूनियर हाईस्कूल स्तरीय कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं

पर पड़ने वाले सामाजिक तथ्य के प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

4. जूनियर हाईस्कूल स्तरीय कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं पर पड़ने वाले शैक्षिक तथ्य के प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

कान्वेन्ट विद्यालय :-

जहाँ पर हर समय की सुविधायें उपलब्ध हों तथा आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न छात्र–छात्रायें पढ़ते हों, परिवहन एवं मनोरंजन के साधन आदि हों वह कान्वेन्ट विद्यालय कहलाता है।

परिषदीय विद्यालय :-

जहाँ का वातावरण सामान्य हो तथा आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न न हो, परिवहन एवं मनोरंजन आदि की सुविधा अल्प रूप से हो, परिषदीय विद्यालय कहलाता है।

3.3 न्यादर्श :-

अनुसंधान प्रायः दो विधियों द्वारा किया जाता है –

1. **प्राचलिक विधि :-** इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण जनसंख्या के द्वारा सूचना एकत्रित की जाती है तथा यह धन, समय व सुविधा की दृष्टिकोण से अत्यधिक खर्चीला व जटिल होता है।

2. **अप्राचलिक विधि :-** इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण जनसंख्या पर अध्ययन न करके उसमें से कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है जो सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। यह विधि सुगम, सरल, अल्पव्ययी होती है इससे प्रापत निष्कर्ष शुद्ध एवं विश्वसनीय होते हैं।

''जनसंख्या (इकाई, वस्तु या मनुष्यों के समूह) में किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है इस प्रकार चुनाव की इस क्रिया को न्यादर्शन कहते हैं तथा चुनी हुई इकाई के समूह को न्यादर्श कहते हैं।''

न्यादर्श उचित एवं वैज्ञानिक रूप से लिये जाने से उस पर आधारित परिणाम समग्र

के परिणाम के अनुरूप होते हैं।

न्यादर्शन के लक्ष्य :-

1. समस्त समिष्ट के स्थान पर कुछ गिनी चुनी इकाईयों का ही अध्ययन करना।
2. अल्प समय में परिणाम जानने की क्षमता प्रदान करना।
3. कम खर्च पर आवश्यक सूचना प्रदान करना।
4. प्रतिचयन प्रसरण को कम करना ।
5. निष्कर्षों में शुद्धता व पर्याथता के स्तरों को स्थापित करना ।

न्यादर्श प्रणाली के गुण :-

1. समय व धन की बचत होती है।
2. पक्षपात से मुक्ति मिलती है व इकाईयों का गहन रूप से अध्ययन किया जा सकता है।
3. यह एक सरल तथा वैज्ञानिक विधि है इसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती है।
4. इसमें विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन हो जाता है तथा प्रशासकीय दृष्टि से भी सुविधाजनक होती है।
5. इसके द्वारा उपलब्ध परिणामों की विश्वसनीयता के स्तर की सरलतापूर्वक निर्धारित किया जा सकता है।

न्यादर्शन की विधियाँ :-

न्यादर्शन विधियों को दो भागों में बाँट सकते हैं –

1. संभाव्यता न्यादर्शन
2. असंभाव्यता न्यादर्शन

1. संभाव्यता न्यादर्शन :-

''जब जनसंख्या की किसी इकाई को न्यादर्श में सम्मिलित करने के लिए उसका

चयन संयोग पर निर्भर करे तो उस चयन विधि को संभाव्यता न्यादर्शन कहते हैं।"

2 **असंभाव्यता न्यादर्शन :-**

इस विधि में शोधकर्ता अपने विवेक से इकाईयों का चयन करता है किन्तु न्यादर्श को प्रतिनिधि एवं पर्याप्त बनाने के लिए कुछ नियमों या पूर्व ज्ञानों का उपयोग करता है।

प्रस्तुत शोध कार्य की न्यादर्श विधि

प्रस्तुत अध्ययन में विषय की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोद्देश्य न्यादर्शन विधि का चुनाव किया है। सर्वप्रथम जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय से कान्वेन्ट एवं परिषदीय में पड़ने वाले विद्यालयों की सूची प्राप्त की, तत्पश्चात् विद्यालयों को चुना। इन विद्यालयों से जूनियर हाईस्कूल स्तर के 100 विद्यार्थियों को लिया, जिसमें 50 छात्र तथा 50 छात्रायें हैं। 50 छात्रों में 25 कान्वेन्ट विद्यालयों से तथा 25 परिषदीय विद्यालय से चुना। 50 छात्राओ में 25 कान्वेन्ट तथा 25 परिषदीय विद्यालयों से चुना।

इन आँकड़ों को प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य से अनुमति प्राप्त कर प्रश्नावली के माध्यम से छात्र–छात्राओ से भरवाकर आँकड़ों को एकत्र किया। परीक्षण को प्रशासित करने से पूर्व अध्यापक, प्रधानाध्यापक तथा छात्र–छात्राओं का सहयोग आवश्यक है। शान्त कक्षा में छात्र–छात्राओं का परीक्षण प्रश्नावली देकर निरीक्षणकर्ता दिये हुये निर्देशों को पढ़ता है तथा छात्र–छात्राओं को ठीक प्रकार से प्रश्नावली भरने के लिए उचित निर्देश देता है। इसके बाद निरीक्षण कर्ता उन प्रश्नावलियों को एकत्र कर लेता है।

कान्वेन्ट एवं परिषदीय के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों की सूची से हमने निम्नलिखित विद्यालयों को चुना।

कान्वेन्ट विद्यालय :-

1. आदर्श बाल निकेतन जू0 हाई स्कूल, अतर्रा, बाँदा
2. तथागत ज्ञानस्थलीय विद्यालय, बाँदा रोड, अतर्रा, बाँदा

परिषदीय विद्यालय :-

1. ब्रम्ह विज्ञान शिशु सदन जूनियर हाई स्कूल, अतर्रा, बाँदा
2. सरस्वती बालिका विद्यालय, अतर्रा, बाँदा

3.4 अनुसंधान के उपकरण :-

अध्ययन की परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए आँकडों के संकलन हेतु विभिन्न परीक्षण विधियों जैसे– निरीक्षण विधि, अध्ययन विधि, साक्षात्कार विधि, अनुसूची विधि, प्रश्नावली विधि, मनोवैज्ञानिक विधि आदि हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता ने प्रश्नावली विधि को परीक्षण के रूप में प्रयोग किया है और आँकड़े एकत्र किये हैं।

गुड तथा हैट के अनुसार :-

"प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है जिसका स्वरूप ऐसा होता है कि उत्तरदाता स्वयं उसकी पूर्ति करता है।"

प्रश्नावली के प्रकार :-

प्रश्नावली निम्नलिखित प्रकार की होती है–

1. प्रतिबन्धित प्रश्नावली
2. खुली प्रश्नावली
3. चित्ररूपी प्रश्नावली
4. मिश्रित प्रश्नावली

अनुसंधानकर्ता ने इस अध्ययन में प्रतिबन्धित का उपयोग किया है।

प्रतिबन्धित प्रश्नावली :-

इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में होते हैं इसमें उत्तरदाता नियन्त्रित रूप से हाँ या नहीं में उत्तर देता है। ऐसी प्रश्नावली सुविधाजनक होती है।

प्रश्नावली के गुण :-

1. अच्छी प्रश्नावली विश्वसनीय तथा वैद्य होती है।

2. साक्षात्कार के दोषों से बचाव होता है

3. इसके द्वारा विस्तृत क्षेत्र व अन्य भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्तियों से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो अन्य साधनों से नहीं प्राप्त हो पाती।

4. पर्याप्त समय मिलने से छात्र–छात्रायें सोच विचार कर उत्तर देते हैं जिससे उत्तरदाता आसानी से उत्तर दे सकें।

5. इसमें पूर्व स्पष्ट निर्देश के साथ प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं जिससे उत्तरदाता आसानी से उत्तर दे सकें।

6. अच्छी प्रश्नावली का व्यवस्थापन, सारणीयन एवं सांख्यकीय विश्लेषण सुविधाजनक होता है।

प्रश्नावली के उपयोग में सुविधायें :-

प्रश्नावली के उपयोग में निम्नलिखित सुविधाऐं हैं–

1. प्रश्नावली का बनाना, प्रशासित करना एवं अंक देना सुविधाजनक होता है।

2. तुलनात्मक दृष्टि से सूचनायें अधिक वस्तुनिष्ठ एवं वैद्य होती हैं।

3. एक साथ हजारों व्यक्तियों पर प्रशासित कर सकते हैं तथा विश्व के कोने–कोने की सूचना घर बैठे ले सकते हैं।

4. इसके प्रयोग से समय, साधन एवं धन की बचत होती है तथा असुविधा नहीं होती है।

5. प्रश्नावली के प्रयोग से उत्तरदाता को उत्तर देने में संकोच नहीं होता।

3.5 सांख्यिकीय गणना

इस अनुसंधान कार्य में छात्र–छात्राओं के द्वारा प्राप्त प्रश्नावलियों के द्वारा उनके प्राप्तांकों को ज्ञात कर लेते हैं, तत्पश्चात् उन आँकड़ों को सारणीबद्ध कर लेते हैं। अध्ययन की गणना के लिए वर्गान्तर तथा बारम्बारता निकालते हैं इन सबका बारम्बारता के अनुसार वर्ग विस्तार में सारणीयन कर लेते हैं इसके पश्चात अलग–अलग सारणी के मध्यमान की

गणना करते हैं। मध्यमान का प्रयोग इसलिये किया जाता है कि मध्यमान के द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन हो जाता है तथा इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष मध्यांक मान से अति निकट व विश्वसनीय तथा शुद्ध होता है। तत्पश्चात् सभी का प्रमाणित विचलन ज्ञात करते हैं जो सांख्यिकीय गणना शोध आदि कार्य में तथा वर्गों की समजातीयता व विषम जातीयता ज्ञात करने के लिए एक शुद्ध एवं श्रेष्ठ माप है।

"किसी श्रेणी के पदों के समान्तर माध्य से विचलनों के वर्गों के मध्यमान के धनात्मक वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं।" मानक विचलन का प्रयोग दो भिन्न–भिन्न इकाईयों वाले प्रदत्तों की तुलना में करते हैं यह बहुत ही स्थायी होता है। इसी कारणा अधिकांश सांख्यिकीय गणनाओं और कार्य में इसका प्रयोग करते हैं।

प्रमाणिक विचलन निकालने के बाद हम प्राप्त मान से आँकड़ों की सार्थकता 0.05 तथा 0.01 पर ज्ञात करते हैं। 0.01 स्तर पर सार्थकता 2.58 है तथा 0.05 स्तर पर सार्थकता 1.96 है। अगर हमारे अध्ययन की निर्धारित परिकल्पना के सार्थकता का मान प्राप्त मान दिये मानक मान से कम होता है तो हमारी परिकल्पना मान्य होती है और अधिक होता है तो हमारी अमान्य हो जाती है।

सांख्यिकीय गणना में प्रयुक्त सूत्र :-

मध्यमान -

सारणीयन के बाद आँकड़ों का मध्यमान (M) या समान्तर माध्य निकालते हैं। समान्तर माध्य निकालने के लिए आँकड़ों के योग में आँकड़ो की संख्या का भाग देते हैं।

समान्तर माध्य या मध्यमान निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र प्रयुक्त करते हैं:–

$$M = \frac{\Sigma fx}{N}$$

जहाँ –

M = मध्यमान

f = पद की बारम्बारता

X = पद का मान

N = बारम्बारताओं का योग

इस अनुसंधान कार्य में मध्यमान का प्रयोग इसलिये किया है क्योंकि मध्यमान के द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है तथा इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष मध्यांक मान से अधिक विश्वसनीय तथा शुद्ध होते हैं।

प्रमाणिक विचलन :-

''किसी श्रेणी के पदों के समान्तर माध्यम से विचलनों के वर्गों के मध्यमान के धनात्मक वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं।

सांख्यिकीय गणनाओं शोध आदि कार्यों में तथा वर्गों की सम जातीयता तथा विषम जातीयता ज्ञात करने की यह एक शुद्ध एवं श्रेष्ठ माप है।

प्रमाणिक विचलन निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं–

$$S.D = \sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{N} - \left[\frac{\Sigma fd}{N}\right]^2}$$

जहाँ –

S.D. = प्रमाणित विचलन

N or f = बारम्बरताओं का योग

fd = बारम्बारताओं का विचलन

d = विचलन

M = समान्तर माध्य

प्रमाणित विचलन निकालने के बाद हम प्राप्त मान से आंकड़ों की 0.05 तथा 0.01 पर सार्थकता ज्ञात करते हैं। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं।

$$t = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{(\sigma_1)}{N_1} + \frac{(\sigma_2)^2}{N_2}}}$$

जहाँ–

σ_1 प्रथम वर्ग का मानक विचलन

σ_2 द्वितीय वर्ग का मानक विचलन

$N_1 =$ प्रथम वर्ग की बारम्बारताओं का योग

$N_2 =$ द्वितीय वर्ग की बारम्बारताओं का योग

$M_1 =$ प्रथम वर्ग का समान्तर माध्य

$M_2 =$ द्वितीय वर्ग का समान्तर माध्य

0.01 स्तर पर मान 2.58 और 0.05 स्तर पर मान 1.96 होता है अगर हमारा मान इस मान से कम होता है तो हमारी परिकल्पना मान्य होती है और अधिक होता है तो हमारी परिकल्पना अमान्य होगी।

अध्याय-चतुर्थ

चतुर्थ अध्याय

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण

समस्त प्रश्नों को छात्र–छात्राओं पर प्रशासित करने के बाद परीक्षण प्रश्नावली के चार क्षेत्रों में प्राप्त अंकों को कान्वेन्ट एवं सरकारी स्कूल के छात्र–छात्राओं के हिसाब से अलग–अलग कर लिया। इसके पश्चात इन क्षेत्रों (पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक) में कान्वेन्ट स्कूल के छात्र एवं सरकारी स्कूल के छात्र व कान्वेन्ट स्कूल की छात्राओं एवं सरकारी स्कूल की छात्राओं के प्राप्तांकों को वर्ग अन्तराल में परिवर्तित कर बारम्बारता तथा संचयी बारम्बारता ज्ञात कर दोनों का प्रतिशत मान निकाला गया तत्पश्चात् उनका समान्तर माध्य तथा मानक विचलन एवं मान विचलन एवं मानक त्रुटि निकाली गयी। उपर्युक्त चारों तथ्यों की गणितीय व्याख्या अग्रिम प्रकार से है–

प्रथम क्षेत्र- पारिवारिक

कान्वेन्ट विद्यालय के छात्र

एवं

परिषद विद्यालय के छात्र

वर्ग अन्तराल

पैमाना 2 सेमी0 =5

4.1 सारणीयन एवं व्याख्या

प्रथम क्षेत्र– पारिवारिक

कान्वेन्ट विद्यालय के छात्र

वर्ग अन्तराल	2–6	7–11	2–16	17–21	22–26
बारम्बारता	3	4	6	5	7
संचयी बारम्बारता	25	22	18	12	7
बारम्बारता : में	12	16	24	20	28
संचयी बारम्बारता : में	100	88	72	48	28

समान्तर माध्य = 15.8, मानक विचलन = 6.76

परिषदीय विद्यालय

वर्ग अन्तराल	2–6	7–11	2–16	17–21	22–26
बारम्बारता	4	3	7	6	4
संचयी बारम्बारता	25	21	18	11	4
बारम्बारता % में	16	12	28	24	20
संचयी बारम्बारता % में	100	84	72	44	20

समान्तर माध्य = 15, मानक विचलन = 6.63 मानक त्रुटि = 0.42

व्याख्याः– कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्रों के बीच गणना द्वारा प्रापत समान्तर माध्य 15.8 एवं एवं 15 है तथा मानक विचलन 6.76 एवं 6.63 है। दोनों के बीच प्राप्त मानक त्रुटि का मान 0.42 है। 5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के स्तर पर प्राप्त मान सार्थक नहीं है क्योंकि यह विश्वास के दोनों स्तरों पर तालिका मान से बहुत कम है अतः निराकरणीय परिकल्पना दोनों विश्वास के स्तर पर स्वीकृत हो जाती है।

अतः जूनियर हाईस्कूल स्तर पर कान्वेन्ट एवं परिषदीय विद्यालयों के छात्रों में परिवरिक तथ्य प्रभाव में सार्थक अन्तर नहीं है।

प्रथम क्षेत्र- पारिवारिक

कान्वेन्ट विद्यालय की छात्रायें

एवं

परिषद विद्यालय की छात्रायें

वर्ग अन्तराल

पैमाना 2 सेमी0 =5

कान्वेन्ट विद्यालय की छात्रायें

वर्ग अन्तराल	3–7	8–12	13–17	18–22	23–27
बारम्बारता	2	5	6	7	5
संचयी बारम्बारता	25	23	18	12	5
बारम्बारता % में	8	20	24	28	20
संचयी बारम्बारता % में	100	12	72	48	20

समान्तर माध्य = 16.6, मानक विचलन = 6.12

परिषदीय विद्यालय की छात्रायें

वर्ग अन्तराल	3–7	8–12	13–17	18–22	23–27
बारम्बारता	3	4	7	7	4
संचयी बारम्बारता	25	22	18	11	4
बारम्बारता % में	12	16	28	28	16
संचयी बारम्बारता % में	100	88	72	44	16

समान्तर माध्य = 16, मानक विचलन = 6.16 मानक त्रुटि = 0.34

व्याख्या :– कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्रों के बीच गणना द्वारा प्राप्त समान्तर माध्य 16.6 एवं 16 है तथा मानक विचलन 6.12 एवं 6.16 है। दोनों के बीच प्राप्त मानक त्रुटि का मान 0.34 है। 5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के स्तर पर प्राप्त मान सार्थक नहीं है क्योंकि यह विश्वास के दोनों स्तरों पर तालिका मान से बहुत कम है अतः निराकरणीय परिकल्पना दोनों विश्वास के स्तर पर स्वीकृत हो जाती है।

अतः मानना पड़ेगा कि दोनों समूहों के मध्यमान में सार्थक अन्तर नहीं है अतः जूनियर हाईस्कूल स्तर पर कान्वेन्ट एवं परिषदीय विद्यालयों के छात्राओं में परिवारिक तथ्य प्रभाव में सार्थक अन्तर नहीं है।

द्वितीय क्षेत्र- आर्थिक

कान्वेन्ट विद्यालय के छात्र

एवं

परिषद विद्यालय के छात्र

वर्ग अन्तराल

पैमाना 2 सेमी0 =5

कान्वेन्ट विद्यालय के छात्र

वर्ग अन्तराल	1–5	6–10	11–15	16–20	21–25
बारम्बारता	4	2	8	9	2
संचयी बारम्बारता	25	21	19	11	2
बारम्बारता % में	16	8	32	36	8
संचयी बारम्बारता % में	100	84	76	44	8

समान्तर माध्य = 13.6, मानक विचलन = 5.97

परिषदीय विद्यालय के छात्र

वर्ग अन्तराल	1–5	6–10	11–15	16–20	21–25
बारम्बारता	2	3	12	7	1
संचयी बारम्बारता	25	23	20	8	1
बारम्बारता % में	8	12	48	28	4
संचयी बारम्बारता % में	100	92	80	32	4

समान्तर माध्य = 13.4, मानक विचलन = 5.65, मानक त्रुटि = 0.12

व्याख्या :– कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्रों के बीच गणना द्वारा प्राप्त समान्तर माध्य 13.6 एवं 13.4 है तथा मानक विचलन 5.97 एवं 5.65 है। दोनों के बीच प्राप्त मानक त्रुटि का मान 0.12 है। 5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के स्तर पर प्राप्त मान सार्थक नहीं है क्योंकि यह विश्वास के दोनों स्तरों पर तालिका मान से बहुत कम है अतः निराकरणीय परिकल्पना दोनों विश्वास के स्तर पर स्वीकृत हो जाती है।

अतः मानना पड़ेगा कि दोनों समहों के मध्यमान में सार्थक अन्तर नहीं है अतः जूनियर हाईस्कूल स्तर पर कान्वेन्ट एवं परिषदीय विद्यालयों के छात्रों में आर्थिक तथ्य प्रभाव में सार्थक अन्तर नहीं है।

द्वितीय क्षेत्र- आर्थिक

कान्वेन्ट विद्यालय की छात्रायें

एवं

परिषद विद्यालय के छात्रायें

वर्ग अन्तराल

पैमाना 2 सेमी0 =5

कान्वेन्ट विद्यालय की छात्रायें

वर्ग अन्तराल	4–8	9–13	14–18	19–23	24–28
बारम्बारता	2	5	9	6	3
संचयी बारम्बारता	25	23	18	9	3
बारम्बारता % में	8	20	36	24	12
संचयी बारम्बारता % में	100	92	72	36	12

समान्तर माध्य = 16.6, मानक विचलन = 5.64

परिषदीय विद्यालय की छात्रायें

वर्ग अन्तराल	4–8	9–13	18–18	19–23	24–28
बारम्बारता	2	3	10	6	4
संचयी बारम्बारता	25	23	20	10	4
बारम्बारता % में	8	12	40	24	16
संचयी बारम्बारता % में	100	92	80	40	16

समान्तर माध्य = 16.4, मानक विचलन = 5.57, मानक त्रुटि = 0.12

व्याख्याः– कान्वेन्ट एवं परिषदीय विद्यालय के छात्रों के बीच गणना द्वारा प्राप्त समान्तर माध्य 16.6 एवं 16.4 है तथा मानक विचलन 5.64 एवं 5.57 है। दोनों के बीच प्राप्त मानक त्रुटि का मान 0.12 है। 5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के स्तर पर प्राप्त मान सार्थक नहीं है क्योंकि यह विश्वास के दोनों स्तरों पर तालिका मान से बहुत कम है अतः निराकरणीय परिकल्पना दोनों विश्वास के स्तर पर स्वीकृत हो जाती है।

अतः मानना पड़ेगा कि दोनों समूहों के मध्यमान में सार्थक अन्तर नहीं है अतः जूनियर हाईस्कूल स्तर पर कान्वेन्ट एवं परिषदीय विद्यालयों के छात्राओं में आर्थिक तथ्य प्रभाव में सार्थक अन्तर नहीं है।

तृतीय क्षेत्र- सामाजिक

कान्वेन्ट विद्यालय के छात्र

एवं

परिषद विद्यालय के छात्र

वर्ग अन्तराल

पैमाना 2 सेमी0 =5

तृतीय क्षेत्र- सामाजिक

कान्वेन्ट विद्यालय के छात्र

वर्ग अन्तराल	2–6	7–11	12–16	17–21	22–26
बारम्बारता	4	4	7	6	4
संचयी बारम्बारता	25	21	17	10	4
बारम्बारता % में	16	16	28	24	16
संचयी बारम्बारता % में	100	84	68	40	16

समान्तर माध्य = 14.4, मानक विचलन = 6.47

परिषदीय विद्यालय के छात्र

वर्ग अन्तराल	1–5	6–10	11–15	16–20	21–25
बारम्बारता	3	7	5	8	2
संचयी बारम्बारता	25	22	15	10	2
बारम्बारता % में	12	28	20	32	8
संचयी बारम्बारता % में	100	88	60	40	8

समान्तर माध्य = 12.8, मानक विचलन = 5.97, मानक त्रुटि = 0.90

व्याख्या :– कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्रों के बीच गणना द्वारा प्राप्त समान्तर माध्य 14.4 एवं 12.8 है तथा मानक विचलन 6.47 एवं 5.97 है। दोनों के बीच प्राप्त मानक त्रुटि का मान 0.90 है। 5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के स्तर पर प्राप्त मान सर्थक नहीं है क्योकि यह विश्वास के दोनों स्तरों पर तालिका मान से बहुत कम है अतः निराकरणीय परिकल्पना दोनों विश्वास के स्तर पर स्वीकृत हो जाती है।

अतः मानना पडेगा कि दोनों समूहों के मध्यमान में सार्थक अन्तर नहीं है अतः जूनियर हाईस्कूल स्तर पर कान्वेन्ट एवं परिषदीय विद्यालयों के छात्रों में सामाजिक तथ्य प्रभाव में सार्थक अन्तर नहीं है।

तृतीय क्षेत्र- सामाजिक

कान्वेन्ट विद्यालय के छात्रायें

एवं

परिषद विद्यालय के छात्रायें

वर्ग अन्तराल

पैमाना 2 सेमी0 =5

कान्वेन्ट विद्यालय के छात्रायें

वर्ग अन्तराल	1–5	6–10	11–15	16–20	21–25
बारम्बारता	1	4	11	6	8
संचयी बारम्बारता	25	24	20	9	3
बारम्बारता % में	4	16	44	24	12
संचयी बारम्बारता % में	100	96	80	36	12

समान्तर माध्य = 14.2, मानक विचलन = 4.96

परिषदीय विद्यालय की छात्रायें

वर्ग अन्तराल	1–5	6–10	11–15	16–20	21–25
बारम्बारता	2	5	10	5	3
संचयी बारम्बारता	25	23	18	8	3
बारम्बारता % में	8	20	40	20	12
संचयी बारम्बारता % में	100	92	72	32	12

समान्तर माध्य = 13.4, मानक विचलन = 5.46, मानक त्रुटि = 0.54

व्याख्या :– कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्रों के बीच गणना द्वारा प्राप्त समान्तर माध्य 14.2 एवं 13.4 है तथा मानक विचलन 4.96 एवं 5.46 है। दोनों के बीच प्राप्त मानक त्रुटि का मान 0.54 है। 5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के स्तर पर प्राप्त मान सार्थक नहीं है क्योकि यह विश्वास के दोनों स्तरों पर तालिका मान से बहुत कम है अतः निराकरणीय परिकल्पना दोनों विश्वास के स्तर पर स्वीकृत हो जाती है।

अतः मानना पडेगा कि दोनों समूहों के मध्यमान में सार्थक अन्तर नहीं है अतः जूनियर हाईस्कूल स्तर पर कान्वेन्ट एवं परिषदीय विद्यालयों के छात्रों में सामाजिक तथ्य प्रभाव में सार्थक अन्तर नहीं है।

चतुर्थ क्षेत्र- शैक्षिक

कान्वेन्ट विद्यालय के छात्र

एवं

परिषद विद्यालय के छात्र

वर्ग अन्तराल

पैमाना 2 सेमी0 =5

कान्वेन्ट विद्यालय के छात्र

वर्ग अन्तराल	7–11	12–16	17–21	22–26
बारम्बारता	2	7	12	4
संचयी बारम्बारता	25	23	16	4
बारम्बारता % में	8	28	48	16
संचयी बारम्बारता % में	100	92	64	16

समान्तर माध्य = 17.6, मानक विचलन = 4.3

परिषदीय विद्यालय की छात्र

वर्ग अन्तराल	4–8	9–13	14–18	19–23
बारम्बारता	1	4	13	7
संचयी बारम्बारता	25	24	20	7
बारम्बारता % में	4	16	52	28
संचयी बारम्बारता % में	100	93	80	28

समान्तर माध्य = 16.2, मानक विचलन = 3.86, मानक त्रुटि = 1.23

व्याख्या :– कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्रों के बीच गणना द्वारा प्राप्त समान्तर माध्य 17.6 एवं 16.2 है तथा मानक विचलन 4.13 एवं 3.86 है। दोनों के बीच प्राप्त मानक त्रुटि का मान 1.23 है। 5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के स्तर पर प्राप्त मान सार्थक नहीं है क्योकि यह विश्वास के दोनों स्तरों पर तालिका मान से बहुत कम है अतः निराकरणीय परिकल्पना दोनों विश्वास के स्तर पर स्वीकृत हो जाती है।

अतः मानना पडेगा कि दोनों समूहों के मध्यमान में सार्थक अन्तर नहीं है अतः जूनियर हाईस्कूल स्तर पर कान्वेन्ट एवं परिषदीय विद्यालयों के छात्रों में सामाजिक तथ्य प्रभाव में सार्थक अन्तर नहीं है।

चतुर्थ क्षेत्र- शैक्षिक

कान्वेन्ट विद्यालय के छात्रायें

एवं

परिषद विद्यालय के छात्रायें

वर्ग अन्तराल

पैमाना 2 सेमी0 =5

कान्वेन्ट विद्यालय की छात्रायें

वर्ग अन्तराल	1–5	6–10	11–15	16–20	21–25
बारम्बारता	1	3	12	7	2
संचयी बारम्बारता	25	24	21	9	2
बारम्बारता % में	4	12	48	28	8
संचयी बारम्बारता % में	100	96	84	36	8

समान्तर माध्य = 14.2, मानक विचलन = 4.53

परिषदीय विद्यालय की छात्रायें

वर्ग अन्तराल	2–6	7–11	12–16	17–21	22–26
बारम्बारता	4	5	9	5	2
संचयी बारम्बारता	25	21	16	7	2
बारम्बारता % में	16	20	36	20	8
संचयी बारम्बारता % में	100	84	64	28	8

समान्तर माध्य = 13.2, मानक विचलन = 5.77 मानक त्रुटि = 0.68

व्याख्या :– कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्रों के बीच गणना द्वारा प्राप्त समान्तर माध्य 14.2 एवं 13.2 है तथा मानक विचलन 4.53 एवं 5.77 है। दोनों के बीच प्राप्त मानक त्रुटि का मान 0.68 है। 5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के स्तर पर प्राप्त मान सार्थक नहीं है क्योंकि यह विश्वास के दोनों स्तरों पर तालिका मान से बहुत कम है अतः निराकरणीय परिकल्पना दोनों विश्वास के स्तर पर स्वीकृत हो जाती है।

अतः मानना पडेगा कि दोनों समूहों के मध्यमान में सार्थक अन्तर नहीं है अतः जूनियर हाईस्कूल स्तर पर कान्वेन्ट एवं परिषदीय विद्यालयों के छात्रों में सामाजिक तथ्य प्रभाव में सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्याय-पंचम

पंचम अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 निष्कर्षः-

प्रस्तुत शोध कार्य जूनियर हाई स्कूल स्तरीय कान्वेन्ट एवं परिषदीय विद्यालय की छात्र–छात्राओं के पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक तथ्यों के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। शोध कार्य में हमने 100 छात्र–छात्राओं को चुना तथा उनको कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय जूनियर हाईस्कूल के रूप में 25 छात्र तथा 25 छात्राओं के हिसाब से लिया। इस प्रकार 25 छात्र कान्वेन्ट एवं 25 छात्र परिषदीय तथा 25 छात्रायें कान्वेन्ट एवं 25 परिषदीय के रूप में प्राप्त हुए। इन सभी से प्रश्नावली को भवाया गया जिसमें पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में दिये गये उत्तरों के हिसाब से अंक प्राप्त हुए चारों क्षेत्रों से प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्र–छात्राओं का प्रतिशत मान ज्ञात किया। प्रतिशत मान में कोई खास अन्तर नहीं दिखायी पड़ा। प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त प्राप्तांकों के अनुसार वर्ग अन्तराल के रूप में बांटकर बारम्बारता ज्ञात किया। इसके पश्चात् संचयी बारम्बारता ज्ञात किया। फिर बारम्बारता प्रतिशत में तथा संचयी बारम्बारता प्रतिशत में ज्ञात किया। तत्पश्चात् प्रत्येक क्षेत्र में कान्वेन्ट विद्यालय के छात्र एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र तथा कान्वेन्ट विद्यालय की छात्राओं एवं परिषदीय विद्यालय की छात्राओं की बनी तालिका से समान्तर माध्य व मानक विचलन ज्ञात किया फिर दोनों समूह के बीच मानक त्रुटि ज्ञात किया।

प्रथम पारिवारिक क्षेत्र में कान्वेन्ट विद्यालय के छात्रों व परिषदीय विद्यालय के छात्रों के बीच मानक त्रुटि 0.42 है तथा कान्वेन्ट विद्यालय की छात्राओं एवं परिषदीय विद्यालय की छात्राओं के बीच मानक त्रुटि 0.34 आया जो 5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत सार्थकता के स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः यहाँ पर मान सार्थक नहीं है जिससे

स्पष्ट होता है कि पारिवारिक तथ्य का कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय से छात्र–छात्राओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखायी पड़ा।

द्वितीय आर्थिक क्षेत्र में कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्रों के बीच मानक त्रुटि 0.12 है तथा कान्वेन्ट विद्यालय की छात्राओं एवं परिषदीय विद्यालय की छात्राओं के बीच मानक त्रुटि 0.12 है जो 5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत सार्थकता के स्तर पर तालिका के मान से कम है अतः यहाँ मान सार्थक नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक तथ्य का कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखायी पड़ा।

तृतीय सामाजिक क्षेत्र कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्रों के बीच मानक त्रुटि 0.90 है तथा कान्वेन्ट विद्यालय की छात्राओं एवं परिषदीय विद्यालय की छात्राओं के बीच मानक त्रुटि 0.54 है जो 5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत सार्थकता के स्तर पर तालिका के मान से कम है अतः यहाँ मान सार्थक नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक तथ्य का कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं पर को विशेष प्रभाव नहीं दिखायी पड़ा।

चतुर्थ शैक्षिक क्षेत्र में कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्रों के बीचच मानक त्रुटि 1.23 है तथा कान्वेन्ट विद्यालय की छात्राओं एवं परिषदीय विद्यालय की छात्राओं के बीच मानक त्रुटि 0.68 है जो 5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत सार्थकता के स्तर पर तालिका के मान से कम है अतः यहाँ मान सार्थक नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि शैक्षिक तथ्य का कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखायी पड़ा।

अतः प्राप्त शोध निष्कर्ष से पता चलता है कि पूर्व में जो परिकल्पना बनायी गयी है उस परिकल्पना के आधार पर परिणाम में कोई अन्तर नहीं आया अतः कान्वेन्ट विद्यालय

एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं की शिक्षा पर पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक तथ्य का कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला।

5.2 भावी अध्ययन के लिए सुझाव :-

इस अध्ययन के शोधकर्ता ने जूनियर हाईस्कूल स्तरीय कान्वेन्ट एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले तथ्यों (पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक) के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन किया जिससे परिणामस्वरूप यह पाया कि इन तथ्यों का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखायी पड़ा। यह सम्भव है कि छात्र–छात्राओं की कम संख्या होने की वजह से ऐसा परिणाम प्राप्त हुआ। वैसे प्रत्येक विकसित नगर या कस्बा में पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों का स्तर उठ रहा है परन्तु यह मानना पड़ेगा कि परिषदीय विद्यालय के छात्रों का रहन–सहन, खान–पान, आचार–विचार आदि का स्तर नीचा है जिसके कारण उनके पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर इतना अच्छा नहीं हो सकता। जबकि कान्वेन्ट विद्यालय के छात्रों का स्तर परिषदीय विद्यालय के छात्रों के स्तर से अच्छा दिखायी पड़ता है। प्रस्तुत शोध में आँकड़ों की संख्या कम है। भविष्य में यदि ज्यादा संख्या में आँकड़े एकत्र किये जायें तथा नगर, कस्बा के साथ ग्रामीण क्षेत्र के भी स्कूलों को शामिल किया जाय। जहाँ पर परिषदीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं की संख्या ज्यादा हो। कान्वेन्ट विद्यालय के छात्र–छात्रायें नगर एवं कस्बे में बहुतायत में मिल सकते हैं। इस प्रकार यदि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर तथ्यों का संकलन किया जाये तो सम्भव है कि वे सामान्य दशा में पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक तथ्यों के प्रभावों का अन्तर व्यवहारिक रूप में देखने को मिलता है वो शोध परिणाम के बाद भी ऐसा ही हो। इसके लिये काफी समय की आवश्यकता पड़ेगी तथा अधिक चरों को लेकर विस्तृत पैमाने में अध्ययन किया जा सकता है।

भविष्य में यदि कोई इस विषय पर अध्ययन करता हे तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नयी दिशा प्राप्त होगी जिसका शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भटनागर, ओ0पी0 – व्यावहारिक अनुसंधान की विधियाँ एवं परिमाप, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़ (1985)
2. सिंह, सुरेन्द्र – सामाजिक अनुसंधान खण्ड दो, उ0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ (1975)
3. जमुआर, कृष्ण कुमार – शिक्षा मनोविज्ञान, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना (1972)
4. राय, पारसनाथ – अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल अस्पताल रोड़, आगरा–3
5. वर्मा, प्रीति एवं श्रीवास्तव – मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा (1990)
6. कपिल, एच0के0 – अनुसंधान विधियाँ, हर प्रसाद भार्गव 4/230 कचेहरी घाट, आगरा
7. शर्मा, आर0ए0 – शिक्षा अनुसंधान, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ
8. मिश्र, गिरीश्वर एवं जैन उदय– समान मनोविज्ञान के मूल आधार, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल (1988)
9. सिंह, श्याम धर – वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन इन्दौर (1991)
10. गुप्ता, रामबाबू – विकासात्मक मनोविज्ञान, रतन प्रकाशन मन्दिर 1/11 साहित्य कुंज, महात्मा गांधी आगरा–2 (1992)

11. शर्मा, रामनाथ एवं चन्द्रा सोती शीवेन्द्र – शिक्षा मनोविज्ञान, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा–3 (1989–90)

12. कपिल, एच0के0 – सांख्यिकी के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा

13. कौल, लोकेश – शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली विकास पब्लिकेशन हाउस प्राइवेट लि0– 576 मस्जिद रोड, जोगपुरा, नई दिल्ली–110014

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

छात्र-छात्राओं पर आधारित प्रशासित प्रश्नावली के पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक तथ्यों के सन्दर्भ में प्राप्त प्राप्तांक

कान्वेन्ट विद्यालय के छात्र

क्रमांक	नाम	पारिवारिक	आर्थिक	सामाजिक	शैक्षिक
1	अवधेश गुप्ता	2	15	6	12
2	राजेश कुमार	7	16	14	17
3	विकास	8	2	16	14
4	मनीष कुमार	26	20	2	20
5	दीपक	21	14	17	7
6	आशीष कुमार	4	21	4	21
7	सिद्धान्त	13	4	21	10
8	अनिरूद्ध प्रसाद	9	13	3	19
9	प्रियेश सिंह	10	19	15	18
10	प्रत्युश कुमार	22	11	20	23
11	प्रतीक अग्रवाल	12	5	7	17
12	प्रवाल चतुर्वेदी	5	17	19	17
13	प्रशासन्त सिंह	14	12	11	15
14	विवेक कुमार	15	9	18	16

15	विजय कुमार	13	19	10	19
16	शिवेश सिंह	12	20	20	13
17	सुधांशु त्रिवेदी	18	7	8	22
18	शिवम् कुमार	26	16	22	21
19	शुभम् सिंह	20	11	12	14
20	अक्षय सिंह	19	24	26	23
21	सजल गुप्ता	23	18	14	16
22	श्रेयांश कुमार	26	14	13	17
23	कुशाग सेठ	17	13	23	26
24	नीरज	24	20	16	20
25	कुशल	22	1	24	18

परिषदीय विद्यालय के छात्र

क्रमांक	नाम	पारिवारिक	आर्थिक	सामाजिक	शैक्षिक
1	मनोज कुमार	3	2	10	14
2	शिवशंकर यादव	8	11	16	9
3	महेश सिंह	10	17	6	15
4	सुरेश द्विवेदी	3	7	2	8
5	शिवनरेश वर्मा	5	13	9	17

6	दिनेश कुमार	19	20	5	9
7	कमल सिंह	11	13	12	20
8	रामचन्द्र	2	8	20	19
9	सन्तोष यादव	14	14	21	23
10	फूलचन्द्र	12	4	17	13
11	प्रेमचन्द्र	15	10	3	12
12	गुलाब चन्द्र	18	17	20	18
13	बाबूलाल	13	13	8	15
14	केशव	20	15	23	18
15	शीतल प्रसाद	16	18	7	20
16	दयाशंकर यादव	14	12	16	15
17	जगतपाल वर्मा	17	16	18	18
18	विनोद कुमार	21	13	13	21
19	हरीशंकर	12	15	8	17
20	देवेन्द्र कुमार	22	19	14	23
21	गिरधारी	18	20	9	14
22	प्रदीप कुमार	23	11	19	13
23	रमेश कुमार	26	23	17	17
24	राजीव गुप्ता	24	12	15	16
25	रवीभूषण	25	14	15	17

कान्वेन्ट विद्यालय की छात्रायें

क्रमांक	नाम	पारिवारिक	आर्थिक	सामाजिक	शैक्षिक
1	ऊषा गुप्ता	12	14	11	16
2	आशा कस्तोर	17	23	15	7
3	सुमन	18	16	17	15
4	सरिता	16	21	8	5
5	अर्चना देवी	22	12	13	11
6	मंजू देवी	4	17	14	12
7	वन्दना	8	22	20	10
8	सुनीता गुप्ता	4	5	10	17
9	कविता गुप्ता	9	20	9	2
10	संजीता	7	10	16	22
11	सालिनी	11	14	13	21
12	श्रद्धा	23	7	6	12
13	नेहा	10	18	19	20
14	रानी गुप्ता	20	15	11	4
15	एकता द्विवेदी	19	9	4	12
16	श्रुति	13	26	24	6
17	रागिनी सिंह	19	13	15	15
18	बुलबुल गुप्ता	14	11	16	9

19	कल्पना द्विवेदी	20	19	14	10
20	पुष्पा सिंह	24	27	20	16
21	अनीता द्विवेदी	15	18	13	19
22	तमन्ना	27	24	23	14
23	ज्योति	24	15	12	18
24	स्वीटी सिंह	25	19	11	13
25	रश्मि	13	18	21	25

परिषदयी विद्यालय की छात्रायें

क्रमांक	नाम	पारिवारिक	आर्थिक	सामाजिक	शैक्षिक
1	सरोज यादव	18	10	15	5
2	गोमती रानी	3	19	16	20
3	मीरा वर्मा	20	13	11	13
4	विद्या प्रजापति	13	20	17	6
5	विमला सिंह	21	14	7	16
6	कुसमा रैकवार	15	12	14	10
7	रंजना गुप्ता	22	15	16	5
8	अंजना भारती	7	3	13	9
9	गायत्री वर्मा	23	17	8	14

10	रतना श्रीवास्तव	20	23	15	11
11	मुन्नी यादव	13	9	20	19
12	राममणि वर्मा	5	7	3	13
13	कृष्णा	21	16	6	11
14	राधा प्रजापति	8	13	14	18
15	सीता यादव	19	25	21	14
16	गीता श्रीवास्तव	13	15	11	17
17	साधना सिंह	12	14	10	15
18	अंजू रानी	27	22	12	22
19	प्रभा वर्मा	24	26	24	13
20	माया सिंह	14	15	9	16
21	सविता द्विवेदी	10	27	13	21
22	बबिता सिंह	25	17	17	11
23	रेहाना	17	21	14	18
24	शबनम	9	19	21	12
25	राजकुमारी	15	18	18	15

परिशिष्ट-2

परीक्षण प्रश्नावली

जूनियर हाईस्कूल स्तर पर कान्वेन्ट विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं की शिक्षा पर पड़ने वाले तथ्यों के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन

निर्देशः-

निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रश्नों के सामने बने कोष्ठकों में हाँ अथवा नहीं लिखना है। आप जिसे उचित समझे उसके सामने हाँ तथा जिसे अनुचित समझें उसके सामने नहीं लिख दीजिए। आशा है कि आप उसको विचार पूर्व सही ढंग से भरकर अध्ययन में सहायता करेंगे। आपके विचार सवर्था गुप्त रखे जायेगें।

इन्हें भरें :—

संस्था का नाम :—

जातिः— कक्षा :— आयुः—

वर्ग :—

पारिवारिक क्षेत्रः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर	
		हाँ	नहीं
1	क्या तम्हारे परिवार में सदस्यों की संख्या पांच से अधिक है?		
2	क्या तुम परिवार में सबसे छोटे हो?		
3	क्या तुम परिवार में सबसे बड़े हो?		
4	क्या तुम अपने माता—पिता के साथ रहते हो?		
5	क्या तुम्हारे साथ परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य सम्बन्धी भी रहते हैं?		
6	क्या तुम्हारे माता—पिता में झगड़ा होता हैं?		
7	क्या तुम्हारे पिता के घर से बाहर रहते हैं?		

8	क्या तुम्हारे भाई–बहन आपस में बहुत झगड़ते हैं?		
9	क्या तुम्हारे माता–पिता तुमगो बहुत डांटते हैं?		
10	क्या तुम्हारे घर के अन्य सम्बन्धियों का झगड़ा होता है?		
11	क्या तुम्हारे माता–पिता तुमको मारते पीटते हैं?		
12	क्या तुम अपने माता–पिता की हर बात मानते हो?		
13	क्या तुम्हें घर की अपेक्षा बाहर रहना अधिक पसन्द है?		
14	क्या तुम घर से बाहर वालों की अधिक बात मानते हो?		
15	क्या तुम्हारा घर ऐक कमरे का है?		

आर्थिक क्षेत्र :-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर	
		हाँ	नहीं
1	क्या तुम्हारे पिता की आय रू0 900 से अधिक है?		
2	क्या तुम्हारे पिता की आय रू0 2000 से अधिक है?		
3	क्या तुम्हारा निजी मकान है?		
4	क्या तुम्हारे यहां आय का दूसरा साधन है?		
5	क्या तुम्हें पढ़ाई के लिए पर्याप्त धन मिलता है?		
6	क्या तुम्हें पढ़ाई खर्च के लिए तुरन्त पैसे मिलते हैं?		

7	क्या तुम्हारे माता–पिता पढ़ाई सम्बन्धी चीजों के लिए पैसे देने से मना करते हैं?		
8	क्या तुम्हारे पिता अधिक खर्च करने पर डांटते हैं?		
9	क्या तुम्हारे माता–पिता यह कहते हैं कि पढ़ाई में चाहे जितना खर्च करो?		
10	क्या तुम्हारी इच्छा पढ़ाई के लिए अधिक मंहगी चीजे खरीदने की होती है?		
11	क्या घर में पढ़ाई के लिए अलग कमरा मिला है?		
12	क्या तुम पढाई सम्बन्धी सभी चीजें खरीद लेते हो?		
13	क्या तुम पढ़ाई पर अन्य कार्यो की अपेक्षा अधिक खर्च करते हो?		
14	क्या तुम्हें माता–पिता से बार–बार पैसे मांगने पड़ते हैं?		
15	क्या तुम्हें माता–पिता पढ़ाई सम्बन्धी आवश्यकताओं को पहले पूरा करते हैं?		

सामाजिक क्षेत्र :-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर	
		हाँ	नहीं
1	क्या तुम्हारे पड़ोस के लोग पढ़े लिखे हैं?		
2	क्या तुम्हारे पड़ोस के लोग झगडालू हैं?		
3	क्या तुम्हारे पास के सभी बच्चे पढ़े–लिखे हैं?		
4	क्या तुम आप–पास के बच्चों से प्रेम करते हों?		

5	क्या तुम्हारे पास के लोग बहुत गरीब हैं?		
6	क्या तुम्हारे पास के लोग बहुत अमीर हैं?		
7	क्या तुम अपने आस–पास के बच्चों से मिलकर खेलते हो?		
8	क्या तुम अमीर और गरीब दोनों से प्रेम करते हो?		
9	क्या तुम कक्षा में गरीब और अमीर बच्चों के साथ पढ़ते हो?		
10	क्या तुम्हारे माता–पिता बाहर जाने से मना करते हैं?		
11	क्या तुम अपने माता–पिता का आदर करते है?		
12	क्या तुम अपने अध्यापक का आदर करते हो?		
13	क्या तुम्हें विद्यालय में अच्छा लगता है?		
14	क्या तुम्हें विद्यालय से भाग जाना अच्छा लगता है?		
15	क्या तुम्हारे अध्यापक पढ़ाई के लिए तुमको डांटते हैं?		

शैक्षिक क्षेत्र :–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर	
		हाँ	नहीं
1	क्या तुम्हारे घर के लोग पढ़े लिखे हैं?		
2	क्या तुम्हारे पिता जी पढ़े लिखे हैं?		
3	क्या तुम्हारी माता जी पढी लिखी हैं?		
4	क्या तुम्हारे बड़े भाई बहन पढ़ते हैं?		
5	क्या तुम्हारे छोटे भाई–बहन पढ़ते हैं?		

6	क्या तुम्हारा मन पढ़ने में लगता है?		
7	क्या तुम माता–पिता की इच्छा से पढ़ते हो?		
8	क्या तुमको घर में कोई पढ़ाता है?		
9	क्या तुम रोज पढने जाते हो?		
10	क्या तुम विद्यालय से आने पर घर में पढ़ते हो?		
11	क्या तुम्हारे माता–पिता न पढ़ने पर तुमको डांटते हैं?		
12	क्या तुम्हें पढ़े–लिखे लोग पसन्द हैं?		
13	क्या तुम पढ़–लिख कर बड़े आदमी बनना चाहते हो?		
14	क्या तुम सोचते हो कि आज हम स्कूल न जाए?		
15	क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे घर के सभी लोग पढे लिखे हों?		